रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 111] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 7, 1979/चैत्र 17, 1901

No. 111] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 7, 1979/CHAITRA 17, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1979

सी. का. नि. 232 (अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 34 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुम्बई महापत्तन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 36 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी से परामर्श करने के पश्चात् तटीय जलयानों को (मुम्बई महापत्तन के भीतर चलने वाले बजरों को छोड़कर), उक्त अधिनियम की धारा 33 के अधीन मुम्बई महापत्तन पर उद्ग्रहणीय कुल पत्तन शुल्क के दस प्रतिशत के बराबर पत्तन शुल्क के संदाय से 17 अप्रैल, 1979 से एक वर्ष की अवधि के लिए छूट देती है।

[सं. पी-जी.आर.-7/79(1)]

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 7th April, 1979

G.S.R. 232(E).—In exercise of the powers conferred by section 34 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), the Central Government after consulting the authority appointed under section 36 of the said Act for the Major Port of Bombay, hereby exempts the coastal vessels (except the barges plying within the Major Port of Bombay) from payment of port-dues equal to 10% (ten percent) of the total port-dues leviable under section 33 of that Act at the Major Port of Bombay, for a period of one year from the 17th April, 1979.

[F. No. PGR-7/79 (i)]

सा. का. नि. 233 (अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 35 की उपधारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तटीय जलयानों की दशा में (मुम्बई महापत्तन के भीतर चलने वाले बजरों को छोड़कर) उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन मुम्बई महापत्तन में प्रभार्य मार्गदर्शन फीस के दस प्रतिशत के बराबर मार्गदर्शन फीस राजपत्र में 17 अप्रैल, 1979 से एक वर्ष की अवधि के लिए माफ करती है।

[सं. पी.जी.आर.-7/79(2)]

सुदर्शन वसुदेव, अवर सचिव

G.S.R. 233(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 35 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), the Central Government hereby remits, in the case of the coastal vessels (except the barges plying within the Major Port of Bombay) the fees for pilotage equal to 10% (ten percent) of the fees for pilotage chargeable under sub-section (1) of that section at the Major Port of Bombay for a period of one year from the 17th April, 1979.

[F. No. PGR-7/79 (ii)]

S. VASUDEV, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1979